Rajasthan Police Academy

सत्यमेव जयते

Security, Justice & Peace

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

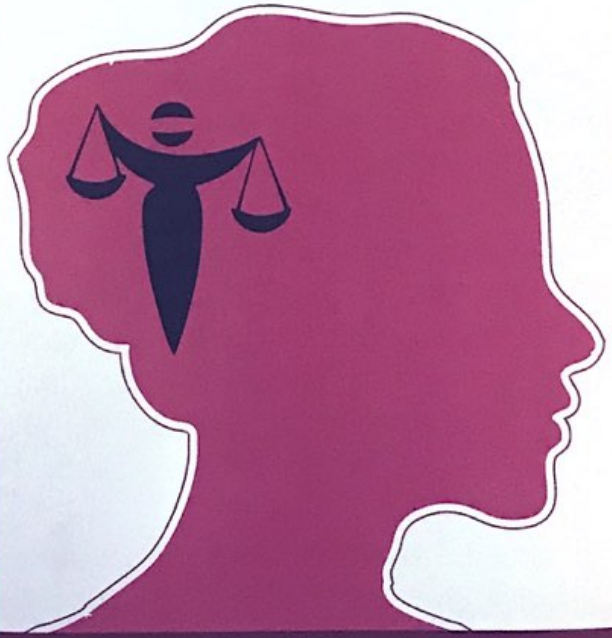

राजस्थान पुलिस अकादमी

नेहरू नगर, जयपुर

स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं से शिक्षा के प्रसार एवं महिलाओं में धीरे–धीरे बढ़ती आर्थिक स्वतन्त्रता ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु समाज में प्रचलित विचारधाराओं एवं संस्थागत रिवाजों के कारण महिलायें यातना, शोषण एवं अवमानना इत्यादि उत्पीड़ित होती आयी है। उनका यह उत्पीड़न सामाजिक एवं पारिवारिक दोनों स्तरों पर रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न महत्वपूर्ण कानून बनाए गए है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून व प्रावधान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा से आशय किसी भी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की या उसको पहुंचाई जाने वाली मानसिक या शारीरिक हिंसा जो लैंगिक, मौखिक हो सकती है, इसमें दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए कोई भी विधि विरुद्ध मांग या आर्थिक दुर्व्यवहार सम्मिलित है।

इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य सरकार हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी और उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। जितना संभव हो सके संरक्षण अधिकारी के रुप में महिला की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें धारा 9 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना, शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना और रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित थाना को प्रेषित करना, व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवाऐं एवं निःशुल्क आश्रय घर उपलब्ध कराने में सहायता कराने सहित इस अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने में सहायता करना है।

धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करने वाला मजिस्ट्रेट अन्तिम आदेश करने से पूर्व व्यथित व्यक्ति को तुरन्त अनुतोष दिए जाने की आवश्यकता के अनुसार स्वविवेक से प्रत्यर्थी के लिए अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है। जैसे यदि व्यथित व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया गया है तो अन्तिम आदेश करने से पूर्व उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम आवास आदेश दे सकता है।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 18 के अनुसार घरेलू हिंसा को कोई कार्य नहीं करने, दुष्प्रेरित नहीं करने, पीडिता को साझा गृहस्थी से निष्कासित या उसमें उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करने आदि आदेश दे सकता है।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले आदेश की अवहेलना करने पर धारा 31 के अन्तर्गत यदि घरेलू हिंसा के अन्तर्गत व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले आदेश की अवहेलना प्रत्यर्थी द्वारा की जाती है तो वह संज्ञेय अपराध होगा तथा ऐसे व्यक्ति को एक साल तक का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम 2013 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में महिलाओं को कार्य स्थल पर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने तथा बिना किसी भय या संकोच के गरिमापूर्ण वातावरण में कार्य कर सकने के उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है।

इस अधिनियम में किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीडन के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है एवं किसी निवास या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी ऐसे निवास या गृह में नियोजित महिला है, परिवाद कर सकती है।

इस अधिनियम की धारा 2 ढ के अन्तर्गत शारीरिक सम्पर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना एवं

लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या शाब्दिक या गैर शाब्दिक कार्य करना लैंगिक उत्पीडन है।

इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीडन के आशय में उस महिला के रोजगार में विशेष व्यवहार के लिए वादा करना, हानिकारक व्यवहार के लिए धमकी देना काम में हस्तक्षेप करना और उसके लिए भयभीत और शत्रुतापूर्ण वातावरण स्थापित करना एवं महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने की परिस्थितियों को भी शामिल किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत कार्यस्थल से आशय ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था, कार्यालय, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित या नियन्त्रणाधीन हो या किसी प्राइवेट सेक्टर का उपकम, संस्थान या संगठन या कार्यालय आदि शामिल है।

इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थल के लिए नियोजक एक आन्तरिक परिवाद समिति गठित करेगा जिसमें अध्यक्ष उस संगठन में काम करने वाली वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी तथा वहां उपलब्ध कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो तथा गैर सरकारी संगठनों से एक सदस्य जो ऐसी ही योग्यता रखता हो, की नियुक्ति समिति में तीन वर्ष के लिए की जाएगी। जिनमें से 50 प्रतिशत सदस्य महिला होगी।

इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला अधिकारी नियुक्त किया जाता है। धारा 6 के अन्तर्गत जिला अधिकारी ऐसे संगठित या असंगठित क्षेत्र संगठनों के लिए जहां 10 से कम कर्मचारी है के लिए स्थानीय समिति का गठन करेंगें।

इस अधिनियम के तहत कोई व्यथित महिला या उसका विधिक उत्तराधिकारी लैंगिक उत्पीडन की शिकायत घटना के 90 दिनों के अन्दर आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति को कर सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक समिति या स्थानीय समिति लिखित परिवाद प्राप्त होने पर मामले की जांच करेगी। जांच के क्रम मे उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। जांच में आरोप साबित होने पर समिति नियोजक को प्रत्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी। समिति व्यथित महिला को प्रत्यर्थी के वेतन में से क्षतिपूर्ति या प्रतिकर देने के आदेश भी दे सकती है। नियोजक समिति के सिफारिशों पर 60 दिन में कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। प्रत्यर्थी समिति के फैसले के विरुद्ध 90 दिन में न्यायालय में अपील की जा सकती है।

जांच के लंबित रहने के दौरान समिति नियोजक को परिस्थितियों के अनुसार महिला या प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण, तीन मास तक का अवकाश या अन्य कोई राहत जो आवश्यक समझी जाए की सिफारिश कर सकती है।

अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत नियोजक का कर्तव्य कार्यस्थल पर सुरक्षित वातारवण उपलब्ध कराना, आंतरिक समिति का गठन कर सभी को जानकारी देना साथ ही यदि महिला घटना के संबंध में अन्य कोई कानूनी कार्यवाही चाहती है तो उसकी मदद करना एवं आन्तरिक समिति की सिफारिशों को लागू कराना है।

राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015

राजस्थान राज्य में डायन प्रताडना के संत्रास पर काबू पाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। दिनांक 24 अप्रेल 2015 को इस अधिनियम को राजस्थान के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे तभी से प्रवृत्त किया गया। धारा 2 के अनुसार परिभाषाऐं–

डायन :- किसी स्त्री को हानि पहुंचाने के आशय से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा डायन या डाकन या डाकिन के नाम से पहचान इस विश्वास के साथ की जाये कि वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है या उसके पास कोई बुरी शक्ति है। डायन प्रताडना के लिए धारा 4 के अनुसार 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास तथा किसी स्त्री को डायन के रूप में चिन्हित करते हुए उसके साथ मानसिक, शारीरिक अथवा लैंगिक प्रताडना करने पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

डायन वृत्ति :– दुराशयपूर्वक आत्मा का आवाहन करने या सम्मोहन करने या चुराये गए माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादूई शक्ति का प्रयोग डायन वृत्ति में सम्मिलित है जिसमें टोना टोटका, तन्त्र मन्त्र, जादू टोना या झाडफूंक आदि सम्मिलित है। डायनवृत्ति के लिए धारा 5 के अनुसार 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

डायन चिकित्सक :– वह व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि उसके पास डायन को नियन्त्रित करने या उपचार करने की अलौकिक या जादूई शक्ति है या जो किसी स्त्री को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के आशय से कोई अनुष्ठान करता है वह डायन चिकित्सक है जिसमें तांत्रिक या ओझा या गुनिया आदि शामिल है। धारा 6 के अनुसार डायन को नियंत्रित करने के आशय से अनुष्ठान करने या करवाने पर 3 से 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

डायन प्रताडना :– डायन प्रताडना का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसमें

1. किसी स्त्री डायन के रुप में पहचान करना, दोष लगाना या मानहानि करना

2. ऐसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक रुप से तंग करना, अपहानि करना या उसे या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के दण्डादेश में जुर्माने की रकम प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दिये जाने का भी प्रावधान है।

आपराधिक दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013

दिल्ली में हुए निर्भया मामले के बाद केन्द्र सरकार ने जस्टिस जे.एस.वर्मा की अध्यक्षतामें गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जिनमें से मुख्य प्रावधान इस प्रकार है :–

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 ए के अन्तर्गत ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग में विफलता को अपराध माना गया है। इसी प्रकार धारा 166 बी के अन्तर्गत ऐसे अपराधों में अस्पताल द्वारा चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाने तथा मामले की रिपोर्ट नहीं करने को भी दण्डनीय अपराध माना गया है।
- भा.द.सं. की धारा 228 ए के अर्न्तगत ऐसे अपराधों की पीडिता की पहचान उजागर किए जाने को भी अपराध की श्रेणी में लिया गया है।
- भा.द.सं. की धारा 326 ए के अर्न्तगत एसिड हमले को तथा धारा 326 बी के तहत एसिड हमले के प्रयास को भी दण्डनीय अपराध माना जाकर दण्ड का प्रावधान किया गया है। तथा ऐसे अपराधों को धारा 100 के अर्न्तगत प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए भी सम्मिलित किया गया है।
- भा.द.सं. की धारा 354 में संशोधन किए जाकर छेडछाड जैसे अपराध को अजमानतीय बनाया जाकर धारा 354 ए के तहत लैंगिक उत्पीडन, धारा 354 बी के तहत निर्वस्त्र करने, धारा 354सी के तहत दृश्यरतिकता तथा धारा 354डी के तहत पीछा करने को भी दण्डनीय अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
- भा.द.सं. की धारा 370 के अर्न्तगत मानव तस्करी को विस्तृत रुप में परिभाषित किया जाकर कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- भा.द.सं. की धारा 375 के अर्न्तगत दुष्कर्म की परिभाषा को विस्तृत किया जाकर धारा 376 के अन्तर्गत ऐसे अपराधों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- भा.द.सं. की धारा 509 के अर्न्तगत स्त्री की लज्जा का अनादर करने तथा उसकी एकान्तता का अतिकमण के आशय से किसी गतिविधि को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाकर दण्डनीय बनाया गया है।
- अपराधों की विस्तृत व्याख्या के साथ–साथ ऐसे अपराधों के अनुसंधान तथा विचारण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए जाकर प्रकिया को सरल तथा महिला के लिए मैत्री पूर्ण बनाया गया है।
- ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडिता के बयान महिला पुलिस अधिकारी या अन्य किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज करने, ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करने, शारीरिक या मानसिक रुप से निःशक्त होने पर विशेष शिक्षक तथा भाषा संबंधी

मामलों में अनुवादक की सहायता लिये जाने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए है।

- पीडिता के धारा 164 के अर्न्तगत बयान करवाने तथा धारा 164ए के अर्न्तगत चिकित्सकीय जांच करवाने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए गए है।
- ऐसे अपराधों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए जाकर पीडित के शील या पूर्व लैंगिक अनुभव को सुसंगत नहीं माना जाकर पीडिता से प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक चरित्र या किसी भी व्यक्ति के साथ के पूर्व के लैंगिक अनुभव के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने का भी प्रावधान किया गया है।

आपराधिक दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018

देश में छोटी बालिकाओं के साथ हो रही दुष्कर्म जैसी घटनाओं के संबंध में सख्त प्रावधान किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए जिनमें से मुख्य प्रावधान इस प्रकार है :–

- भारतीय दण्ड संहिता में धारा 376 में संशोधन किए जाकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म करने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से होगा, के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय दण्ड संहिता में धारा 376 एबी जोडी जाकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म करने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से होगा, या मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय दण्ड संहिता में धारा 376 डीए जोडी जाकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने पर ऐसा अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से होगा, के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय दण्ड संहिता में धारा 376 डीबी जोडी जाकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने पर ऐसा अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से होगा, या मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है।

Printed at : Ankit Printers, Jaipur # 2329864